न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

113-

भू–वापसी वाद संख्या– 51/2015–16
(सी0एन0टी0 एक्ट, 1908 की धारा 46(3–4) के तहत)

–:आदेश:–

सूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
05/02/19	इस वाद की कार्यवाही जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 245/भू0अ0 दिनांक 27.06.2015 से अनुसूचित जनजाति की भूमि पर गैर अनुसूचित जनजाति के दखल के संबंध में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(3–4) के अन्तर्गत वाद की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए पक्षकार को नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही इस संबंध में अंचल अधिकारी, चास से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।	

– : भूमि का विवरण :–

राजस्व ग्राम/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
नरकेरा/26	11	163/2	0.015

प्रथम पक्ष द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए उल्लेंख किया गया है कि मौजा नरकेरा, थाना नं0 26, खाता नं0 11, प्लॉट नं0 163/2, रकवा 0.015ए0 भूमि का खतियान रैयत सुराई मांझी के पुत्रों के नाम से दर्ज है। रैयतों के सहमति से भूमि पर लगभग 30 वर्षो से कच्चा मकान बनाकर चाय–नास्ता का दुकान चलाकर बाल–बच्चों का भरण–पोषण कर रहे है। इस भू–खण्ड का मुआवजा व क्षतिपूर्ति रैयतों जगत मांझी एवं अन्य को भुगतान किया जाय एवं मकान का क्षतिपूर्ति हमें दिया जाय। इनके द्वारा खतियान रैयत एवं स्वयं के साथ हुए अनापत्ति/समझौता पत्र भी दाखिल किया गया है।

अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1908 दिनांक 15.09.2018 से जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा उल्लेंखित किया गया है कि मौजा नरकेरा, खाता नं0 11 आदिवासी खाते की भूमि है। जिसका सर्वे खतियान सुराई मांझी वल्द वुकाय मांझी के नाम से दर्ज है। उक्त प्लॉट नं0 163/2, रकवा 0.015ए0 भूमि पर निरंजन पाल वर्तमान में दखलकार नहीं है। खतियान रैयत के भूमि के सामने सड़क की भूमि पर निरंजन पाल द्वारा चाय/नास्ते का दुकान खोला गया था। NH23 के चौडीकरण/फोर लेन निर्माण के क्रम में प्रश्नगत प्लॉट नं0 163/2 पर निरंजन पाल को पंचाटी घोषित कर दिया गया। जबकि उक्त प्लॉट पर निरंजन पाल का दावा/दखल राजस्व कागजात नहीं है एवं जमाबंदी भी कायम नहीं है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्लॉट नं0 163/2 पर खतियान रैयत सुराई मांझी के वंशज का दखल कब्जा है। जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0 179/II में मझिया मांझी वगैरह के नाम से चल रही है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी निरंजन पाल के नाम से नहीं चल रही है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

इस संबंध में प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। उनके द्वारा बताया गया है कि वर्तमान वाद मौजा नरकेरा, खाता नं0 11, प्लॉट नं0 163/2, रकवा 0.015ए0 एवं अन्य सर्वे खतियान में सुराई मांझी के नाम से दर्ज था। उनके वंशज के द्वारा किसी भी तरह का वैद्य हस्तांतरण आवेदक के पक्ष में नहीं किया गया था। उक्त भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। सी0एन0टी0 एक्ट 1908 की धारा 46(1) में स्पष्ट उल्लेंख है कि किसी भी तरह का बिक्री, उपहार एवं अन्य अधिकारों का हस्तांतरण आदिवासी से आदिवासी के बीच में उपायुक्त के आदेशानुसार ही किया जा सकता है। इन्होनें यह भी कहा है कि उपायुक्त स्वयं संज्ञान लेकर भू–वापसी का वाद संधारित कर सकते है एवं अतिक्रमित भूमि का वापसी आदिवासी के पक्ष में कर सकते है। उन्होनें यह भी कहा है कि आवेदक गैर आदिवासी है तथा जाली कागजात के आधार पर जबरन कब्जा कर रखा है। अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन में भी उक्त भूमि को आदिवासी खाते की भूमि का उल्लेंख किया गया है। इन्होनें यह भी कहा है कि खतियानी रैयत के वंशज सुराई मांझी के दखल कब्जे में है। अंत में उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में भू–वापसी करने का अनुरोध किया है।

प्रथम पक्ष एवं प्राधिकृत अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं अंचल अधिकारी, चास के जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है। जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमित किया गया है। प्रथम पक्ष के पास भूमि का कोई भी वैद्य कागजात नहीं है, एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखते है। अंचल अधिकारी, चास के जांच प्रतिवेदन में भी उक्त भूमि पर सुराई मांझी के वंशज का दखल कब्जा होने का बात कही गई हैं। प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष निरंजन पाल के नाम से जमाबंदी नहीं चल रही है, उनका दावा अवैध है। उपरोक्त प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। जिसपर खतियानी रैयत सुराई मांझी के वंशजों का दखल कब्जा है। जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ संख्या 179/II में मंझीया मांझी वगैरह के नाम से दर्ज है।

अतः अंचल अधिकारी, चास उपरोक्त भूमि पर खतियानी रैयत के वंशजों के नाम से कायम जमाबंदी की समीक्षा करते हुए वैद्य आश्रितों के दखल कब्जा को यथावत् बनायें रखे।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.01.14 13:17:40 +05:30
Location: 192.168.1.42

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चास।